



2026:ABC:50598-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4533 वर्ष 2026

चुनका ठाकुर @ चुनका सिंह ठाकुर @ हरवंश सिंह याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार मिश्र, राघवेंद्र यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए., मुकेश कुमार राव, शांति कुमार यादव

कोर्ट नंबर - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार राव को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं साथ ही उन्हें बेहतर विवरणों के साथ एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी दी जाए।
3. विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।
5. यदि कोई, दस्तावेज़ हों तो उनकी प्रमाणित प्रतियाँ, नियमों के अनुसार वापस कर दी जाएँ।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

12 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जफर

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।